कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ

आदेश संख्या – 01 /2026 दिनांक 02.01.2026

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पत्रांक 1507 दिनांक 28.08.2024 (Modified LADCS Scheme, 2022) के आलोक में Legal Aid Defense Counsel System (LADCS) के कार्यालय हेतु 1. Office Assistant/Clerks 2. Receptionist-Cum-Data Entry Operator (Typist) 3. Office Peon (Munshi/ Attendant) के एक–एक पद पर नियुक्ति (संविदा) हेतु विज्ञापन संख्या 01/2024 दिनांक 19.09.2024 के आलोक में विभिन्न पदो के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पत्रांक 158/BSLSA/LADCS/ 40-24/2469 दिनांक 24.12.2025 द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित सफल अभ्यर्थियों को संविदा पर एक वर्ष के लिए मासिक पारिश्रमिक/मानदेय पर नियुक्त किया जाता है।

Sl. No.	Name of Post	Roll No.	Category	Name of Candidate	Monthly Remuneration / Honorarium
1.	Office Assistant/Clerk (on Contract basis)	C/40	General	Smt. Shankari Singh	20,000/-
2.	Receptionist-Cum-Data Entry Operator (Typist) (on Contract basis)	R/30	General	Smt. Bishnu Priya	19,000/-
3.	Office Peon (Munshi/Attendant) (on Contract basis)	P/110	General	Sri Shivam Kumar	13,000/-

उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि यदि इनके पूर्व वृत एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन इनके प्रतिकूल होगा अथवा प्रमाण पत्र/दस्तावेजों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायेगी, तो इनकी सेवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाएगी।

02/01/26

आपको निर्देश दिया जाता है कि पद पर नियुक्ति के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज और घोषणा पत्र मूल रूप में साथ लायें।

1. मूल शैक्षणिक दस्तावेज और अन्य सभी प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आपको नियुक्ति के लिये चुना गया है।
2. माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र (अर्थात् मैट्रिकुलेशन/दसवीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र) के संदर्भ में आपकी जन्मतिथि दर्शाने वाले प्रमाण पत्र।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र।
4. परिवार नियोजन संबंधी घोषणा पत्र।
5. दहेज का लेन–देन नहीं करने के संबंध में घोषणा पत्र।
6. इस आशय की घोषणा कि आपको किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है और न हीं आपको किसी सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है।
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में) उनकी चयन श्रेणी के अनुसार, साथ ही बिहार का निवास प्रमाण पत्र।
8. दो हालिया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो।

सभी पदों पर नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी तथा कभी भी नियुक्ति स्थायी नहीं होगी तथा उपयुक्त अभ्यर्थियों की सेवा **Modified LADCS Scheme, 2022** के तहत निम्नलिखित बिंदू के आधार पर बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

लगातार .....

Termination of Services:

Services of any human resource including legal aid defense counsel engaged in the office of Legal Aid Defense Counsel can be terminated at any time without any prior notice in the following cases by the Chairman, DLSA on recommendation of the Secretary DLSA or on the directions by SLSA in writing:

i. He/she substantially breaches any duty or service required in the office, or
ii. Seeks or accepts any pecuniary gains or gratification in cash or kind from the legal aid seekers or beneficiary or his friend or relative, or
iii. Charged or Convicted for any offence by any court of law, or
iv. indulges in any type of political activities, or
v. Found incapable or rendering professional services of the required standards, or
vi. Failure to attend training programmes without any sufficient cause, or
vii. Indulges in activities prejudicial to the working of legal aid defense counsel office, or
viii. Uses his/her position in legal aid defense counsel office to secure unwarranted privileges or advantages for him/herself or others, or
ix. Acts in breach of code of ethics, or
x. Remains absent without leave for more than two weeks, or
xi. If Services are found unsatisfactory during the six-monthly performance review by the SLSA or DLSA.

आपको नियुक्ति पत्र की प्राप्ति तिथि से 30 दिनों के अन्दर योगदान करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा नियुक्ति पत्र स्वतः रद्द हो जायेगा। इस कार्य के लिए कोई यात्रा भत्ता (T.A.) देय नहीं होगा। कार्यालय उपर्युक्त सफल अभियर्थियों को निबंधित डाक के माध्यम से नियुक्ति पत्र निर्गत करें तथा इस आदेश की एक प्रति को व्यवहार न्यायालय, पूर्णियॉ के वेबसाईट पर अपलोड करें।

ह0/–
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियॉ।

ज्ञापांक संख्या–04-09/24 दिनांक– 02/01/2026

प्रतिलिपि – 1. सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना 2. महालेखाकार, पटना 3. समाहर्त्ता, पूर्णियाँ 4. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन, बिहार सरकार, पटना 5. कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित। 6. नोडल पदाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, पूर्णियॉ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sunil Kumar 02/01/26
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ